कृषि विज्ञान केन्द्र, पोकरण (जैसलमेर–II)

(स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर)

राष्ट्रीय राजमार्ग–11, गोमट, पोकरण, जैसलमेर, राजस्थान–345021

उत्तमा कृषिस्तु कृषिकर्मेव

भाकृअनुप ICAR

डॉ. दशरथ प्रसाद
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
http://jaisalmer2.kvk2.in

(+91) 2994–299451
(+91) 9461073512
kvkpokaran@gmail.com

क्रमांकः के.वी.के. / पोक / लेखा / निविदा / 2024 / 188 दिनांक; 12 / 07 / 2024

निविदा सूचना संख्या–01 / 2024–25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में 01 वर्ष के लिये कृषि विज्ञान केन्द्र, पोकरण (जैसलमेर–II) पर आयोजित होने वाले विभिन्न कृषक प्रशिक्षणों, किसान मेलों एवं अन्य बैठकों / कार्यक्रमों में किसानों एवं अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये विभिन्न श्रेणी अनुसार चाय, नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था करने हेतु सम्बंधित फर्मों से निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19 / 07 / 2024 को प्रातः 11:00 बजे तक मोहरबंद खुली निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदा फॉर्म एवं शर्तें रूपये 500 / – नकद या डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि "Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Pokaran" के पक्ष में देय हों, को राजपत्रित अवकाश के अलावा कार्य दिवस मे दिनांकः 12 / 07 / 2024 से 18 / 07 / 2024 तक प्रातः 10:00 से सायं 05:00 एवं 19 / 07 / 2024 को प्रातः 10:30 बजे तक भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। उक्त निविदा को दिनांक 19 / 07 / 2024 को दोपहर 12:00 बजे निर्धारित समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। निविदा से संबंधित अन्य जानकारी एवं विवरण वेबसाइट https://sppp.rajasthan.gov.in एवं www.raubikaner.org एवं www.jaisalmer2.kvk2.in पर देखा जा सकता है।

12.07.2024

(वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष)

डॉ. दशरथ प्रसाद
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
कृषि विज्ञान केन्द्र, जैसलमेर - II
पोकरण - 345021 (राज.)

कृषि विज्ञान केन्द्र, पोकरण (जैसलमेर–II)
(स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर)
राष्ट्रीय राजमार्ग–11, गोमट, पोकरण, जैसलमेर, राजस्थान–345021

उत्तमा कृषिरस्तु कृषिकर्म

भाकृअनुप ICAR

डॉ. दषरथ प्रसाद
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
http://jaisalmer2.kvk2.in

(+91) 2994–299451
(+91) 9461073512
kvkpokaran@gmail.com

क्रमांकः के.वी.के. / पोक / लेखा / निविदा / 2024 / 19

दिनांक; 12 / 07 / 2024

निविदा सूचना संख्या–01 / 2024–25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र, पोकरण (जैसलमेर–II) पर आयोजित होने वाले विभिन्न कृषक प्रषिक्षणों, किसान मेलों एवं अन्य बैठकों / कार्यक्रमों में किसानों एवं अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये प्रतिदिन दिन में दो बार विभिन्न श्रेणी अनुसार चाय, नाष्ता एवं भोजन की व्यवस्था करने हेतु सम्बंधित फर्मों से निर्धारित प्रपत्र में मोहरबंद खुली निविदाएँ आमंत्रित की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है;

1	निविदा का NIB नं.	NIB No.: **SKA2425A0025**
2	निविदा फॉर्म की दर	रू. 500 / – नगद अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से
3	निविदा संदर्भ	केन्द्र पर आयोजित होने वाले विभिन्न कृषक प्रषिक्षणों, किसान मेलों एवं अन्य बैठकों / कार्यक्रमों में किसानों एवं अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये विभिन्न श्रेणी अनुसार चाय, नाष्ता एवं भोजन की व्यवस्था करने हेतु।
4	निविदा प्रपत्र	निविदा प्रपत्र–(क) एवं निविदा प्रपत्र–(ख)
5	कार्य की अनुमानित लागत	रूपये 3.50 लाख (रू. तीन लाख पचास हजार मात्र)
6	कार्य की अनुमानित अवधि	एक वर्ष के लिये
7	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की दिनांक व समय	दिनांकः 12 / 07 / 2024 से 18 / 07 / 2024 तक कार्यालय कार्य दिवस मे प्रातः 10:00 से सायं 05:00 एवं 19 / 07 / 2024 को प्रातः 10:30 बजे तक।
8	निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक	दिनांकः 19 / 07 / 2024 सुबह 11:00 बजें (निविदा फॉर्म मय संलग्नक एवं धरोहर राषि)
9	निविदा खोलने की दिनांक व समय	दिनांकः 19 / 07 / 2024 दोपहर 12:00 बजें (नियुक्त कमेटी द्वारा)
10	निविदा खोलने का स्थान	कृषि विज्ञान केन्द्र, पोकरण

निविदा निर्धारित प्रपत्र में बन्द लिफाफे में ही स्वीकार की जायेगी। निविदा फॉर्म षुल्क रू. 500 / – नगद अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जा सकता है, जो कि “Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Pokaran” के पक्ष में देय हों।

12-7-2024

UBN No. : SKA2425SSOB00029

(वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष)

डॉ. दशरथ प्रसाद
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
कृषि विज्ञान केन्द्र, जैसलमेर - II
पोकरण - 345021 (राज.)

—: चाय, नाश्ता एवं भोजन हेतु आमंत्रित खुली निविदा की शर्तें — (ख) :—

1	निविदा निर्धारित फॉर्म/प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी। निविदा फॉर्म के लिये शुल्क रूपये 500/— नकद या डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा जो कि "Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Pokaran" के नाम देय हों, को निर्धारित दिनांक तक राजपत्रित अवकाश के अलावा कार्य दिवस मे प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक जमा करके प्राप्त किया जा सकता है।
2	निविदा फॉर्म के साथ निम्न दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित छांयाप्रति या मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। 1. फर्म का जी.एस.टी. पंजीकरण प्रपत्र। 2. खाना आपूर्ति के लिए अधिकृत संस्थान द्वारा जारी वैध लाईसेंस की प्रति। 3. फर्म के बैंक खाता विवरण के लिये केंसल्ड चेक। 4. निविदादाता का स्वयं का पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं पासपोर्ट साईज फोटो। 5. निर्दिष्ट धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट। 6. रूपये 50/— के नॉन—ज्यूडिसियल स्टाम्प पर नोटेरी से प्रमाणित शपथ पत्र पर यह देना होगा कि निविदादाता/फर्म किसी भी रूप में ब्लैक लिस्टेड नही है तथा निविदादाता/फर्म का वित्तीय वर्ष 2023—24 का किसी प्रकार का कोई टैक्स बकाया नही है।
3	स्वीकृत निविदा की अवधि एक वर्ष के लिये मान्य होगी, जिसे आवश्यकतानसार घटाया/बढ़ाया जा सकेगा।
4	निविदा की अनुमानित लागत राशि रूपये 3,50,000/— (तीन लाख पचास हजार मात्र) है, जिसके लिये निविदादाता द्वारा धरोहर राशि के रूप में (निविदा की अनुमानित लागत का 02 प्रतिशत) रूपये 7,000/— केवल डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो "Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Pokaran" के नाम देय हों, को निविदा फॉर्म के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदा फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5	सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के बाद दो दिवस के अन्दर कुल अनुमानित लागत राशि पर 03 प्रतिशत की दर से राशि 10,500/— रूपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में उपरोक्तानुसार केवल डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही जमा करवाना होगा।
6	जिस निविदादाता/फर्म की निविदा अनुमोदित/स्वीकृत होगी उसकी धरोहर राशि को बतोर अमानत राशि के रूप में कार्यालय में जमा रखा जायेगा तथा उक्त राशि को कार्य अवधि समाप्त होने के बाद निविदादाता द्वारा **"नो ड्यूज"** प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के चैक द्वारा वापस लौटा दिया जायेगा। इसके अलावा यदि निविदादाता बीच में किसी कारण से ठेका/अनुबंध छोड़ देता है तो उसकी जमा धरोहर राशि कार्यालय द्वारा जब्त कर ली जायेगी तथा फर्म को काली सूची (Black List) में डाल दिया जायेगा।
7	निविदादाता उक्त कार्य को अन्य किसी भी व्यक्ति/फर्म को सबलैट नहीं कर सकेगा, ऐसा कुछ करने पर उक्त निविदा को तुरन्त प्रभाव से उपरोक्त निर्दिष्ट अनुबंध छोड़ने के नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा।
8	असफल निविदादाता/फर्म जिनकी निविदा अनुमोदित/स्वीकृत नही होगी उनकी धरोहर राशि के डिमांड ड्राफ्ट को निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के 07 दिवस में ज्यों का त्यों वापस लौटा दिया जायेगा।
9	प्रशिक्षण/कार्यक्रम हेतु उपलब्ध बजट के अनुसार ही सफल निविदादाता को कार्य आदेश दिया जायेगा।
10	निविदादाता द्वारा नियुक्त मुख्य रसोईया (हैड कुक) को केटरिंग/कुकिंग का कम से कम दो साल के अनुभव का साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11	निविदादाता द्वारा कार्य हेतु लगाये गये व्यक्तियों के अलावा अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों का किसान घर/भोजनशाला/डायनिंग हॉल में प्रवेश वर्जित रहेगा तथा किसी भी तरह के कार्य हेतु बाल श्रमिकों का नियोजन करना वर्जित रहेगा।
12	निविदादाता की किसी भी प्रकार की काउण्टर कण्डीशन मान्य नहीं होगी।
13	भोजनशाला एवं डायनिंग हॉल की सफाई की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी, तथा भोजन—पानी की स्वच्छता, स्वादिष्ठता एवं गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा।
14	निविदादाता केवल मांगी गई दर के लिए ही अपनी निविदा में सामग्री व मात्रा भरकर देवें।
15	प्रभारी अधिकारी, किसान घर/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष द्वारा भोजनशाला/रसोई के बारे में कोई भी जानकारी मांगने पर तुरन्त उपलब्ध करवानी होगी।
16	चाय, नाश्ता एवं भोजन बताये अनुसार समय पर प्रशिक्षणार्थियों/प्रतिभागियों को देना होगा।
17	प्रशिक्षण में रात्री के भोजन हेतु जितने प्रशिक्षणार्थी/प्रतिभागी ठहरेंगे उसी संख्या में खाना देना होगा व ठहरने/खाने की संख्या के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा तथा रात्री में ठहरने वाले प्रशिक्षणार्थियों/प्रतिभागी की सख्या की जानकारी निविदादाता को प्रशिक्षण दिवस को दोपहर 3:00 बजे दे दी जावेगी।
18	प्रशिक्षण अवधि 1 से 30 दिवस तक के आयोजित किये जा सकते हैं।
19	चाय, नाश्ता एवं भोजन के लिये प्रयोग में लिए जाने वाले बर्तन व कप आदि प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए।
20	दोपहर व शाम की सब्जी व दाल अलग—अलग होगी।
21	चाय, नाश्ता एवं भोजन के लिये खाद्य पदार्थो की व्यवस्था निविदादाता को अपने स्तर पर करनी होगी, और चाय, नाश्ता एवं भोजन आदि बनाने के लिये उपयोग में लेने वाले बर्तन, गैस, फ्रीज, क्रोकरी व अन्य सभी आवश्यक सामानों की व्यवस्था भी निविदादाता को ही अपने स्तर पर करनी होगी।

P.T.O.

22	सभी खाद्य/पेय पदार्थों को बनाने में उत्तम क्वालिटी का सामान ही काम में लेना व खाना शुद्ध एवं ताजा देना होगा।
23	भोजनशाला की जगह एवं डायनिंग हॉल के फर्नीचर (किसान घर में उपलब्धता के आधार पर) के अलावा कोई सामान देय नहीं होगा, तथा निविदादाता द्वारा काम में ली गई सामग्री की समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
24	भोजनशाला में कार्यरत रसोईया एवं समस्त कर्मचारी साफ–स्वस्थ हों, तथा उन सभी के अच्छे व्यवहार व नैतिक चरित्र की जिम्मेदारी भी निविदादाता की होगी।
25	निविदादाता एवं उनके कर्मचारियों को किसान घर के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
26	केन्द्र द्वारा गठित कमेटी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष समय–समय पर निविदा सम्बंधित शर्तों के अनुसार खाद्य पदार्थों की गुणवता की जांच कर सकेगें।
27	निविदादाता के कर्मचारियों द्वारा केन्द्र के किसान घर/कार्यालय/फार्म की सम्पति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा। यदि कोई नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई/टूट–फूट की मरम्मत निविदिदाता को करनी होगी।
28	किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, पोकरण के पास सुरक्षित रहेगा।
29	सेवा संतोषजनक नहीं होने पर कभी भी अनुबंध निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त करली जायेगी।
30	भोजनशाला में मांसाहारी खाना पकाना एवं मदिरा का सेवन तथा परोसना पूर्णतया वर्जित रहेगा।
31	निविदादाता को अपने कर्मचारीयों को पहचान पत्र उपलब्ध करवाना होगा जो सम्बंधित अधिकारी या कर्मचारी द्वारा मांगने पर दिखाना होगा।
32	बिजली तथा पानी का उपयोग किफायत से करना होगा। हीटर का उपयोग निषेध रहेगा।
33	विभिन्न कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की जन–धन हानि एवं दुर्घटना की वैधानिक व सम्पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता की होगी। इस सम्बंध में केन्द्र का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
34	भोजनशाला/केन्द्र पर स्थित फर्नीचर, वाटर कुलर, फ्रीज, ईलेक्टिक उपकरण आदि अन्य सामान की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। किसी वस्तु के खोने अथवा चोरी हो जाने पर निविदादाता को उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी।
35	खाद्य एवं पेय पदार्थों का विवरण मय दर भोजनशाला में बोर्ड पर लिखकर रखना होगा।
36	निविदा में दी गई दरों में काट–छांट/ नहीं होनी चाहिए। काट छांट होने पर उस पर निविदादाता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
37	सभी प्रकार के टैक्स वहन की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
38	अनुबंद खत्म होने पर निविदादाता को कृषि विज्ञान केन्द्र, पोकरण से "नो ड्यूज" लेना होगा।
39	निविदादाता या उसके श्रमिक द्वारा अपने स्तर पर भोजनशाला/केन्द्र पर निर्धारित कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई गैर कानूनी गतिविधि संचालित करता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
40	किसी प्रकार के विवाद पर न्याय क्षेत्र पोकरण (जैसलमेर) होगा।
41	कृषि विज्ञान केन्द्र, पोकरण के बाहर ग्रामीण क्षैत्र में यदि प्रशिक्षण/मेला/कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो निविदादाता को वहाँ भी चाय, नाश्ता, भोजन की व्यवस्था करनी होगी।
42	बिना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को होगा तथा किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा जो कि निविदादाता को मानना बाध्य होगा।
43	निविदा की शर्ते स्वीकार करते हुये कार्य करने की सहमति प्रदान करने हेतु निविदादाता को रूपये 100/– के नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प पर नोटेरी से प्रमाणित शपथ पत्र निविदा स्वीकृत होने के दो दिनों के अन्दर कार्यालय समय में जमा करवाना होगा। इसके अभाव में सफल निविदादाता को कार्यादेश नहीं दिया जाएगा तथा जमानत राशि भी जब्त कर ली जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी निविदादाता की होगी।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमनें पूरी सावधानी पूर्वक उपरोक्त सभी शर्ते अच्छी तरह से पढ़ ली है जो मुझे/हमें स्वीकार्य है एवं मैं/हम उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ/है। मेरा/हमारा कार्य किसी भी स्तर पर संतोष जनक नहीं पाये जाने पर निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी धरोहर राशि केन्द्र जब्त कर सकता है।

डॉ. दशरथ प्रसाद
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
कृषि विज्ञान केन्द, जैसलमेर - II
पोकरण - 345021 (राज.)

(निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील एवं दिनांक)

(वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष)

(कमेटी सदस्यों के हस्ताक्षर)